Attchement-2.2

प्रारुप–5

परियोजना की, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मंच–बकोड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई 12.00 किमी0)।

उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति शासनादेश संख्या 512 (1)/ III (2)/09–64 (एम0एल0ए0)/2008 दिनांक 10–02–2009 के द्वारा प्राप्त हुई है। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
चम्पावत (उत्तरांचल)

Attachment-3.2 B

संख्याः– 512/III(2)/09–04(ए0रो0)/08

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 10 फरवरी, 2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में 10 नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के पत्र सं0–5627/1125 याता0–कु0/08 दि0 20.06.08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 द्वारा उपलब्ध कराये 10(दस) कार्यो के लागत कुल रूपये 850.79 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 843.77 लाख (रूपये आठ करोड़ तैतालीस लाख सत्तहर हजार मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम–5 पर अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम–6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 01.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः -

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व शासनादेश सं0–4042/III(2)/08–24(बजट)/2008 दिनांक 11–12–08 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाय।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। मार्ग नीति से आच्छादित होने की पुष्टि के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यो में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत

Attchement-2.2C

O of the C

शासनादेश संख्या–512/III(2)/09–64(एम0एल0ए0)/08, दिनांक 10 फरवरी, 2009 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1–	जनपद चम्पावत में चम्पावत–ढकना–बडोला मोटर मार्ग के किमी0 2 में 20 मी0 विस्तार स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	20 मीटर	60.00	60.00	0.10
2–	जनपद चम्पावत में पुनाव–सिप्टी–सैदर्क मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से ग्राम पंचायत गाडकोट के अन्तर्गत राजस्व ग्राम पातक तक मोटर मार्ग का निर्माण।	03.00	105.00	105.00	0.10
3–	जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ मोटर मार्ग के किमी0 125 से आमबाग पंचायत घर मोटर मार्ग का सुधार कार्य।	01.20	14.83	14.83	0.10
4–	जनपद चम्पावत में कालूखान–गुरौली मोटर मार्ग।	02.00	70.00	70.00	0.10
5–	जनपद चम्पावत में धौन–पत्थरमूलन मोटर मार्ग का पुनर्निमाण व सुधारीकरण का कार्य।	02.00	40.00	40.00	0.10
6–	जनपद चम्पावत में टनकपुर में शारदा चुंगी से शमशान घाट मार्ग में पुलिया निर्माण।	06.00	25.50	18.48	0.10
7–	जनपद चम्पावत में नई बस्ती सैलानीगोठ में अवशेष आन्तरिक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण।	01.00	23.16	23.16	0.10
8–	जनपद चम्पावत में मंच–बकोडा मोटर मार्ग का निर्माण।	12.00	420.00	420.00	0.10
9–	जनपद चम्पावत में बिरगुल–गोली ग्राम मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार (किमी0 1 एवं 2)	02.00	40.00	40.00	0.10
10–	जनपद चम्पावत तपनीपाल मोटर मार्ग के किमी0 3.00 में 20.00 मी0 विस्तार के आर0 सी0 सी0 मोटर हेतु का निर्माण।	20 मीटर	52.30	52.30	0.10
	योगः–		850.79	843.77	01.00

(रूपये एक लाख मात्र)

फोटो प्रति प्रमाणित

Photo Copy attested

AE कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लोक निर्माण विभाग देहरादून

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

पत्रांक 252/20 प्रान्त०(क)/09 दिनांक 19/02/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियन्ता (कु० क्षेत्र) लो० नि० वि० अल्मोड़ा।

2– बजट/प्राविधिक वर्ग/गार्ड पत्रावली हेतु।

3– अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त, लो० नि० वि० पिथौरागढ़।

Attchement-2.2 d
(4)

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धन का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक– 31.03.2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधि नियमावली 2008 के नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृ लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनरा पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे

16. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

17. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभ अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य स आयोजनागत–800–अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे जायेगा।

18. **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–1182/XXVII(2)/ दिनांक 09 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नकः– 10 कार्यो की सूची।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकि
अपर सचिव

संख्याः–512(1)/III(2)/09–64(एम0एल0ए0)/08, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी चम्पावत।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमॉऊ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकि
अपर सचिव।